>

Title: Need to prohibit the practice of carrying night soil in the country.

**श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर, हि.प्र.):** मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ड्राय लैट्रीन्स (प्रोहीबिशन) एक्ट, 1993 के अनुसार देश में ड्राय लैट्रीन्स यानी नॉन फ्लश लैट्रीन्स के निर्माण पर रोक है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके लिए एक वर्ष की जेल एवं 2000 रुपए जुर्माने की सजा है, लेकिन इसके बावजूद देश में अनेक म्युनिसिपैलिटीज द्वारा पब्लिक ड्राय टॉयलैट्स चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने सर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 2007 में योजना बनाई, इसे भारत के संविधान के मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत धारा 14 (कानून के समक्ष समानता) एवं धारा 17 (अस्पृश्यता निवारण) एवं धारा 17 (शोषण विरुद्ध अधिकार) का उल्लंघन मानते हुए सजा का प्रावधान किया। कर्नाटक राज्य में सर पर मैला ढोने की प्रथा को वर्ष 1970 और सम्पूर्ण भारत में इस प्रथा को 1995 में निषेध कर दिया गया, लेकिन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले कर्नाटक राज्य में अभी भी सर पर मैला ढोकर अपना जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 8000 है। यह संख्या तो केवल एक राज्य की है। पूरे देश में न जाने अभी भी इस प्रकार का कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को जड़-मूल से समाप्त करने हेतु कानूनों के साथ-साथ सामाजिक चेतना जागृत करें और देशभर में म्युनिसिपैलिटीज द्वारा चलाई जा रही ड्राय लैट्रीन्स को समाप्त करें।